


385

489

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल घालियर, मध्यप्रदेश (स्ट्रॉकेटी रीवा मण्डल)
प्राक्तिक सिता | ११.१०.१७/३९४।



₹.30/-

1. रविराज सिंह बघेल तनय स्व. रामा सिंह बघेल, निवासी घूरडांग, वार्ड क.
11, तहसील रघुराजनगर, जिला सतना, म0प्र०
2. मुसो बेवा कुसुम सिंह विधवा पत्नी रामसिंह, निवासी घूरडांग, वार्ड क. 11,
तहसील रघुराजनगर, जिला सतना, म0प्र०

..... आवेदकगण / निगराकारगण

बनाम

मेसर्स विरला कामरशन लिमि०, यूनिट सतना, पोस्ट आफिस बिडला विकास, तहसील
रघुराज नगर, जिला सतना, म0प्र०

..... गैर निगराकार / अनावेदक

निगरानी विरुद्ध आदेश न्यायालय श्रीमान्
राजस्व निरीक्षक महोदय, सतना के राजस्व
प्रकरण क्र. 150 / अ-12 / 2016-17 में पारित
आदेश दिनांक 19.09.2017

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 मध्यप्रदेश भू-
राजस्व संहिता 1959 ईस्वीं।

[Signature]
मान्यवर,

प्रकरण के तथ्य :-

1. यह कि अनावेदक ने राजस्व निरीक्षक के न्यायालय में ग्राम घूरडांग की
आराजी क्र. 189 रकमा 2.55 ए०, एवं 190 रकमा 1.77 ए०, कुल किता 02,
कुल रकमा 1.619 हेक्टे. यानी 4.32 ए. के सीमांकन हेतु आवेदन पत्र

[Signature]

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ—अ

प्रकरण क्रमांक

II / निगो / सतना / भू—रा० / 2017 / 3941

जिला—सतना

रविराज सिंह बघेल / मे० बिरला कार्पो० सतना

(1)	(2)	(3)
23.04.19	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री राकेश कुमार निगम उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी राजस्व निरीक्षक, तहसील रघुराजनगर के प्रकरण क्रमांक 150 / अ—12 / 2016—17 में पारित आदेश दिनांक 19.09.2017 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म०प्र० भू—राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 25.07.19 को कलेक्टर, जिला सतना के समक्ष उपस्थित हो।</p> <p style="text-align: right;">(बी.एम.शर्मा), सदस्य</p>	